# गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा
## (Gokhale's political testament)

बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगडन के आग्रह पर गोखले के द्वारा वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की गई, जिसे "गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा" कहा गया। यह योजना अगस्त 1912 में प्रकाशित किया गया। गोखले द्वारा तैयार की गई योजना में प्रान्तीय शासन और केन्द्रीय शासन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गये थे।

⇒ **प्रान्तीय शासन** - गोखले द्वारा प्रान्तीय शासन के संबंध में अत्यधिक प्रमुख रूप से सुझाव दिये गये थे। गोखले के अनुसार, प्रान्तीय शासन में निम्न तरह की व्यवस्था होनी चाहिए

(i) प्रान्तीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति इंगलैण्ड से हो।

(ii) प्रत्येक प्रान्त में एक विधान परिषद् होनी चाहिए, जिसमें सदस्यों की संख्या 75-100 के बीच होनी चाहिए। परिषद् के कम-से कम आधे सदस्यों का चुनाव निर्वाचन द्वारा अथवा विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाय। परिषद् में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर-सरकारी नामजद सदस्य नहीं होना चाहिए।

(iii) गवर्नर को सहायता और परामर्श देने के लिए 6 सदस्यों की कार्यकारिणी हो, जिसमें 3 भारतीय तथा 3 इंग्लैण्ड की हो।

(iv) गवर्नर को यह अधिकार होना चाहिए कि कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुँचाने के लिए कुछ सरकारी सदस्यों को जोड़ सके।

(v) विधान परिषद् को प्रान्त के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो और प्रान्तीय करारोपण में कमी अथवा वृद्धि करने के लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक हो।

(vi) प्रान्तीय सरकार को प्रान्त के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्य सौंप दिया जाना चाहिए तथा एकांत वित्तीय शक्ति प्रदान कर देना चाहिए। भारत सरकार को प्रान्तीय

Scanned with CamScanner

सरकार पर नियंत्रण का अधिकार नागरिकों के लिए होना चाहिए।
(vi) जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाय। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और मनोनीत छोटी जिला परिषदें को जोड़ देना चाहिए।

## ⇒ केन्द्रीय शासन अर्थात् भारत सरकार (Central Govt)

(i) केन्द्रीय शासन में केवल 6 विभाग तथा केवल 6 सदस्य होना चाहिए। जिसमें कम-से-कम दो सदस्य भारतीय होना चाहिए। केन्द्रीय शासन के 6 विभाग क्रमशः - आन्तरिक मामले, वित्त विभाग, विधि, प्रतिरक्षा, संचार (रेल, डाक और तार) तथा विदेश हैं।
(ii) केन्द्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधान सभा कर दिया जाना चाहिए। विधान सभा की शक्ति बढ़ा देनी चाहिए तथा सदस्यों की संख्या 100 कर देनी चाहिए।
(iii) भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए तथा अन्य मामलों में भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर देना चाहिए। वित्तीय मामलों में उपनिवेश मंत्री होने चाहिए।

## अन्य सुझाव -

(i) स्थल सेना और नौ सेना में भारतीयों को उच्चतम अधिकारी पद देना चाहिए तथा शिक्षा का समुचित (उच्च) प्रबन्ध करना चाहिए।
(ii) इस योजना में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया, लेकिन आगा खाँ ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगा खाँ का कहना था कि प्रान्तों को जातीय आधार पर पुनर्गठित किया जाय।